न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 48 / 2025

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025 / 162

प्रार्थी

हीराराम पुत्र छोगाराम, जाति– भील, निवासी–कारोला, तहसील– सांचौर, जिला–जालोर

अप्रार्थीगण

1 मुकेश कुमार पुत्र पूनमचन्द जाति–मीणा, निवासी–सताल्या की ढ़ाणी, ननावाड़ी, तहसील–बोली, जिला–सवाई माधोपुर

2 मुकेश पुत्र जोईताराम

3 प्रकाश पुत्र जोईताराम

जातियान–भील, निवासीगण– कारोला, तहसील–सांचौर

4 तहसीलदार (भूमिधारी) सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 01.08.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार पुरोहित उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विजय रत्नेश उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 16.02.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा कारोला में मुझ प्रार्थी के संयुक्त परिवार की पुश्तैनी पैतृक आराजी आई हुई है जिसके खसरा संख्या 2448 / 335 रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि मुझ वादी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की आई हुई है जिसमें मुझ प्रार्थी का 1 / 9 हिस्सा खातेदारी एवं कब्जा काश्त का आया हुआ है उक्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी पारिवारिक आई हुई है। मौजा कारोला में स्थित प्रार्थी की पुश्तैनी आराजी खसरा नंबर 2748 / 335 रकबा 0.08 हैक्टेयर का संवत् 2072 में मुझ प्रार्थी के स्व. पिता छोगाराम ने अपने जिते जी काल में मौके पर एक भाईयों का बंटवाड़ा कर मुझ प्रार्थी का 1 / 9 हिस्सा मौके पर अलग पर कब्जा काश्त मुझ प्रार्थी ने प्राप्त कर लिया जो बदस्तूर है। खसरा नंबर 2748 / 335 रकबा 0.08 हैक्टेयर में से मुझ प्रार्थी के बंट में 1 / 9 हिस्से की आराजी खसरा नंबर 380 से लगती हुई है जो नजरी नक्शा 'अ' में प्रदर्श लाल रंग से प्रदर्शित ए, बी, सी, डी भाग मुझ वादी के बंट में आई होने से मौके पर कब्जा काश्त मुझ प्रार्थी के बंट के चारों ओर माठ कायम है तथा प्रार्थी के हिस्से की आराजी में प्रार्थी की

सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

रहवासी ढ़ाणी आई हुई है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण ताफैसला मूल वाद के फरमावें कि मौजा कारोला के खसरा नंबर 2448 / 335 रकबा 0.08 हैक्टेयर में प्रार्थी के 1 / 9 हिस्से व बंट की आराजी पर प्रार्थी के कब्जा काश्त में न तो अप्रार्थीगण स्वयं न किसी अन्य से दखलंदाजी करावें व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि सरहद मौजा कारोला के खसरा नंबर 2448 / 335 रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **16.02.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर